


वकील करिकेन उपस्थित। वादी द्वारा  
मूल दावा विद्वी कर लिया गया है।  
अतः प्र. पत्र सारहीन होने के कारण  
स्वार्थित किया जाता है। पत्रावली हाजिर  
दफ्तर है।

9/11/20

वकील करिकेन उपस्थित। वादी द्वारा  
मूल दावा विद्वी कर लिया गया है।  
अतः प्र. पत्र सारहीन होने के कारण  
स्वार्थित किया जाता है। पत्रावली हाजिर  
दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी  
वादी (बरातपुर)

No objection  
Signature



Signature